.—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 116/2024

उनवान

1. रमेश पुत्र भंवरलाल
2. जेठमल पुत्र भंवरलाल समस्त जाति माली निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. जयकरण
2. देवकरण,
3. मुेश पि. रामदेव
4. महावीर पुत्र जेठमल समस्त जाति माली निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

———— अप्रार्थीगण :— 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
5 जरियें राज. पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 16.10.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 9549/3591, 3591, 9548/3591, 9547/3591, 9550/3591, 2113, 9298/2113, 9252/2093, 2093 रकबा क्रमशः 0.02, 0.06, 0.03, 0.04, 0.02, 0.12, 0.12, 0.16 0.32 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की पूर्व मे सह खातेदारी की थी। उक्त आराजी का सहमती से विभाजन दिनांक 25.05.2015 को किया गया, तथा विभाजन का नामान्तकरण 1765 भरा गया। विभाजन के नामान्तकरण के बाद अलग–अलग खातें कायम कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की गयी। विभाजन प्रस्ताव के मानचित्र दिनांक 25.05.2015 के अनुसार राजस्व मानचित्र में अकंन करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से आकृतियॉ परिवर्तित कर दी गयी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया। अतः हाल राजस्व मानचित्र में सहमती विभाजन प्रसताव दिनांक 25.05.2015 अनुसार दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने राजीना[illegible] में दुरूस्ती हेतु सहमती जाहिर की। राज. पैराका ने जवाब नही पेश करना ज[illegible]। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलो[illegible] प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण [illegible] श्रीनगर की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की पूर्व मे सह खातेदारी [illegible] थी। उक्त आराजी क[illegible]ती से विभाजन दिनांक 25.05.2015 को किया गया, तथा [illegible]भाजन का नामान्तक[illegible]65 भरा गया। विभाजन के नामान्तकरण के बाद अलग–अलग खातें कायम कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested

——2

दर्ज की गयी। विभाजन प्रस्ताव के मानचित्र दिनांक 25.05.2015 के अनुसार राजस्व मानचित्र में अकंन करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से आकृतियॉ परिवर्तित कर दी गयी। प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष मे हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है। किन्तु प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नही किय है कि आराजी मुतनाजा का कौन सा खसरा नम्बर प्रार्थीगण के व कौन सा खसरा नम्बर अप्रार्थी के नाम हाल राजस्व मानचित्र में अंकन करना है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे मात्र हाल राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण होने का कथन करते हुये दुरूस्त करने का निवेदन किया है किन्तु प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नही किया है कि हाल राजस्व मानचित्र में क्या त्रुटि अंकित है तथा उक्त त्रुटि को किस प्रकार दुरूस्त किया जा सकता है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र अस्पष्ट तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण आराजी मुतनाजा का हाज राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जाना संभव नही है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर, तहसील नसीराबाद की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। तहसीलदार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested